भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1509**
28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय- कृषि भूमि के उपयोग संबंधी प्रयोजन में बदलाव**
**1509. श्री यूसुफ पठानः**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने गत पाँच वर्षों के दौरान देश में कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने के संबंध में राज्य-वार आंकड़े एकत्र किए हैं;
(ख) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश अथवा निगरानी तंत्र है कि कृषि भूमि का औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तन केवल आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और वैधानिक पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाए;
(ग) क्या सरकार को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अनधिकृत रूप से परिवर्तित किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?
(घ) क्या सरकार ने कृषि भूमि में ऐसे बदलाव का कृषि उत्पादन, भू-जल पुनर्भरण, जैव विविधता और समग्र पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और
(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उपजाऊ कृषि भूमि की सुरक्षा, भूमि उपयोग के अनधिकृत परिवर्तन को रोकने, और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि एवं कृषि राज्य के विषय हैं। तदनुसार, भूमि का विनियमन, भूमि उपयोग और कृषि भूमि का औद्योगिक या अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के विधायी और प्रशासनिक कार्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा यह संबंधित राज्यों के लागू कानूनों के अनुसार विनियमित होता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पूरे देश में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की गई कृषि भूमि पर केंद्रीय रूप से आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 लागू किया गया, जो दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी हुआ। अधिनियम के अनुसार, आजीविका, कृषि पद्धतियों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए भूमि के अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 10 में उन असाधारण मामलों के

अतिरिक्त जहां कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जहां भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ तथा कुछ मामलों में भूमि के एवज में भूमि आदि सहित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को निर्दिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और कुछ प्रक्रियाओं या कार्यों के संचालन पर, जहां भी पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे आवश्यक समझा जाए, प्रतिबंध या निषेध लगाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, उन परियोजनाओं और गतिविधियों की श्रेणियां निर्धारित करती है जिनके लिए निर्माण या अन्य निर्दिष्ट गतिविधियों के प्रारंभ से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है।

(घ) एवं (ङ): भारत सरकार सतत कृषि विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उदेश्य से उपयुक्त नीतिगत उपायों, स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) तथा कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शामिल हैं। ये सभी पहल, सतत कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, मृदा और जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, जो संतुलित और सतत विकास में सहायता प्रदान करती है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करती है।

भूमि उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार, सकल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 198.28 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 225.19 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण फसल सघनता में भी निरंतर सुधार हुआ है, जो वर्ष 2014-15 में 142.2% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 159.7% हो गई है। यह बहु-फसली खेती की ओर सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे किसानों की एक ही भूमि पर प्रतिवर्ष एक से अधिक बार खेती करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014-15 में 252.02 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 376.56 मिलियन टन (अग्रिम अनुमान) हो गया है, जबकि बागवानी उत्पादन वर्ष 2014-15 में 280.98 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 377.77 मिलियन टन (अग्रिम अनुमान) हो गया है।

*****